उत्तरांचल सरकार

पंजीकरण प्रमाण पत्र

(उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 3 के अधीन पंजीकरण का प्रमाण–पत्र)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि **ऊषामठ महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लि0,** इसके संगम् ज्ञापन और प्राधिकृत संगम् अनुच्छेद सहित **उत्तरांचल राज्य** के अन्तर्गत एस0 आर0 ए0 डी0 रूद्रप्रयाग **संख्या 09** के साथ पंजीकृत है ।

मेरे हस्ताक्षर एवं मेरी मुद्रा के अधीन दिनांक **05.02.2005** को जारी ।

(ए.के. काला)
उप रजिट्रार / उप निबन्धक
स्वायत्त सहकारिता
उत्तरांचल सरकार

प्रमाणित किया ... के संगम अनुच्छेद ... जनपद ... के अन्तर्गत संख्या ... में दिनांक 05/02/2005 को किया गया है।

उप निबन्धक
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल
अल्मोड़ा

संगम अनुच्छेद

उषामठ महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लिमिटेड

डाकखाना-उखीमंठ, विकासखण्ड-उखीमठ, जनपद-रूद्रप्रयाग

१. (क) नाम एवं मुख्यालय

इस सहकारिता का नाम "उषामठ महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लिमिटेड", ऊखीमठ होगा और इसका मुख्यालय ग्राम ऊखीमठ, पो०ऑ० ऊखीमठ, विकासखण्ड ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग, उत्तराँचल होगा।

(ख) १ ...

प्रस्तर–2

इस सहकारिता का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण गढ़वाल मण्डल होगा।

...स्वायत्त सहकारिता महासंघ लिमिटेड, ऊखीमठ अंकित होगा
...धिकारियों या बोर्ड द्वारा नामित व्यक्ति को होगा एवं इसके
...रियों के मुख्यकार्यपालक, प्रबन्धक या अधिकारी के नाम/
...गा।
...ं चमोली जनपद होगा।
...क्षेत न हो।
...रिता अधिनियम २००३ से है।
...महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लिमिटेड, ऊखीमठ से है।
...ा के संगम अनुच्छेदों के अनुसार विवादों का निपटारा करने
...ठित किसी व्यक्ति अथवा विषम संख्या में व्यक्तियों का एक
...

४. "निदेशक बोर्ड अथवा बोर्ड" से अभिप्रेत है - सहकारिता का शासी निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे संगम अनुच्छेद के अधीन सहकारिता के कार्य करने के निदेश सौंपे गए हैं।

५. "मुख्य कार्यपालक" से तात्पर्य है वैतनिक या अवैतनिक हैसियत वाला वह व्यक्ति जिसे संगम अनुच्छेद के अनुसार बोर्ड द्वारा सदस्यों, निदेशकों या अन्य में से नाम निर्दिष्ट या निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर सहकारिता के नाम से वाद चलाया जा सकेगा तथा जो सहकारिता की ओर से वाद चला सकेगा, जो ऐसे कार्यों का पालन करेगा तथा जिसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे और जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है तथा बोर्ड द्वारा समनुदेशित की गयी है।

६. "निदेशक" से तात्पर्य है वह सदस्य जिसे संगम अनुच्छेद के अनुसार सहकारिता के बोर्ड का निदेशक चुना गया है।

७. "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है - संगम अनुच्छेद में अन्यथा व्यवस्था न होने की दशा में वह वर्ष जो अप्रैल के पहले दिन से शुरू होकर अंगले वर्ष की ३१ मार्च को समाप्त होता है।

८. "साधारण निकाय" से अभिप्रेत है - सहकारिता के सम्बन्ध में अभिप्रेत उसके सभी सदस्य।

९. "साधारण सभा" से अभिप्रेत है - इस अधिनियम और संगम अनुच्छेद के उपबंधो के अनुसार बुलायी गयी तथा संचालित की गयी साधारण निकाय की कोई सभा।

१०. "अभ्यांतर सेवा" का तात्पर्य है सदस्यों को उपलब्ध कराई गयी केन्द्रीय सेवायें जिनके माध्यम से सहकारिता सभी सदस्यों की उन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्य रखती है जिनकी पूर्ति के लिए सहकारिता का गठन किया गया था तथा जिनसे सदस्यों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की उम्मीद है।

११. "सदस्य सहकारिता" का तात्पर्य है ऐसी कोई प्राथमिक या सहायक सहकारिता जिसे किसी सहायक सहकारिता की अभ्यंतर सेवाओं की वांछनीयता है और जो इसका उपयोग करने में सक्षम है तथा जिसे इस अधिनियम तथा सहायक सहकारिता के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार उस सहायक सहकारिता के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

१२. "अध्यक्ष" का तात्पर्य है बोर्ड के चुने हुए सदस्यों द्वारा इसकी सभाओं एवं साधारण निकाय की सभाओं की अध्यक्षता करने, ऐसे अन्य कार्यों को सम्पन्न करने, ऐसी अन्य शक्तियों एवं दायित्वों को धारण करने के लिए चुना गया हो जैसा कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट हो तथा बोर्ड द्वारा समनुदेशित किया गया हो।

१३. "स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)" से अभिप्रेत है कि महिलाओं का ऐसा संगठित समूह जिसका गठन विधिवत किया गया हो और एक अपना विधान व शासी निकाय हो तथा सामूहिकता के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति की चाह रखता हो।

उषामठ महिला महासंघ ऊखीमठ
सरला
अध्यक्षा

उषामठ महिला ...
श्रीमती - चन्द्रमा देवी

१४. "प्रतिनीधि सदस्य" से तात्पर्य वह सदस्य जो कि महिला स्वयं सहायता समूहों या प्रारम्भिक सहकारिताओं/ सहकारितायों से या ऐसी संस्थाओं जिससे वह सहकारिता सम्बद्ध है। सभा के समय उसके हित का प्रतिनिधत्व करने के लिए उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया है।

४. (क) लक्ष्य एवं सेवायें

सहकारिता मुख्य रूप से निम्न लक्ष्यों की प्राप्त हेतु प्रयास करेगी।

१. सदस्य सहकारिताओं को एंव सदस्य सहकारिताओं के माध्यम सें उनके सदस्यो को तथा ग्रामीणों को लघु वित्त एवं लघु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, ऋण सेवायें, जिसमे बीमा सेवायें, एवं सभी प्रकार की वित्तीय सेवायें सम्मिलित होगी। सहकारी बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से
२. कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से सम्बन्धित आय वृद्धि कार्यक्रमों का संचालन।
३. घरेलू कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना।
४. कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं कुटीर उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय करना।
५. लघु वन उपज/ गैर वन उपज आधारित आय वृद्धि कार्यक्रमों या कुटीर उद्योगों की स्थापना, विकास एवं प्रबन्धन करना।
६. पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनें का संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास करना।
७. डेयरी विकास कार्यक्रमों को संचालित करना।
८. स्वयंसहायता समूहों तथा ग्रामीण में अल्प बचत को प्रोत्साहन देना, मितव्ययिता, पारस्परिक सहायता तथा स्वावलम्बन को बढ़ावा देना।

सहकारिता के उपरोक्त उद्देष्यों के अतिरिक्त निम्न गौण उद्देष्य भी होंगे जिनकी प्राप्ति हेतु प्रयास किया जायेगा।

१. कृषि की विकसित तकनीक की जानकारी सदस्यों को पहुँचाना।
२. पशुपालन की नवीन विधियों एवं तकनीकियों की जानकारी सदस्यों तक पहुँचाना।
३. बागवानी से सम्बन्धित विकसित तकनीकियों की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध करना।
४. सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नति के लिए
    १. पुस्तकालयों की स्थापना करना।
    २. जागरूकता अभियान संचालित करना।
    ३. हाट बाजार एवं हाट मेलों का आयोजन करना।
    ४. विपणन हेतु मण्डियों की स्थापना करना।
५. स्वास्थ्य सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध करना।
६. सदस्यों की आर्थिक उन्नति के लिए स्वावलम्बन की भावना को विकसित करना।
७. ऐसे सभी कार्यों को संचालित करना जिनसे सहकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति हो एवं जो आर्थिक, सामाजिक विकास के हित में हो।
८. उपज संरक्षित करने के लिए गोदामों की स्थापना करना।

४. (ख) सहकारिता द्वारा सदस्यों को दी जाने वाली सेवायें

१. सहकारिता अपने सदस्यों को आर्थिक कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु ऋण एवं वित्तीय सेवायें उपलब्ध करायेगी।
२. उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्री की विपणन व्यवस्था करेगी।
३. नवीन तकनीकियों की जानकारी सदस्यों तक प्रसारित करने हेतु भूमि, संयत्र या आवश्यक उपकरणों का क्रय-विक्रय करेगी।
४. सदस्यों को तकनीकी एवं गैर तकनीकी जानकारी प्रदान करेगी।
५. आवश्यकतानुसार सदस्यों को प्रदर्शन सेवायें प्रदान करेगी।
६. सदस्यों के प्रति उन्नतशील बीज, कृषि उपकरण, यन्त्र एवं खाद का उत्पादन, क्रय एवं विक्रय सेवायें प्रदान करेगी।
७. सदस्यों को सहकारिता शिक्षा उपलब्ध कराना एवं सहकारिता शिक्षा के माध्यम से सदस्यों में स्वावलम्बन की भावना विकसित करना।
८. सदस्यों को उनके द्वारा चयनित व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।

५. सदस्यता

१. सहकारिता के सदस्य मूल रूप से क्षेत्र में गठित स्वायत्त सहकारितायें द्वारा चयनित प्रतिनीधि होंगे।
२. सदस्यता ग्रहण करने हेतु सहकारिता को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
३. प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रति सदस्य या निर्धारित धनराशि सदस्यता शुल्क के रूप में सहकारिता में जमा की जानी होगी।
४. सदस्यता की सीमा तय करने में सहकारिता का बोर्ड स्वतंत्र होगा।

उपनिबन्धक सहकारी समितियां (stamp)

उषाकॅ महिला महासंघ ऊखीमठ
सरला
अध्यक्षा

उषाकॅ महिला महासंघ ऊखीमठ
श्रीमती धूमा देवी
सचिव

५. सदस्य शुल्क की राशि भी सहकारिता के बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी जो कि आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील हो सकती हैं

६. उत्तराँचल स्वायत्त सहकारी अधिनियम २००३ के अध्याय ३ में लिखित धाराओं के आधार पर सदस्यता प्रदान की जायेगी।

५. (अ) सदस्यता की पात्रता

१. कोई भी पंजीकृत महिला स्वायत्त सहकारिता इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है।

२. सदस्यता ग्रहण करने के लिए सहकारिता को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाना होगा। सदस्यता प्रदान करने में सहकारिता का बोर्ड स्वतन्त्र होगा एवं उसका मत निर्णायक होगा।

३. सदस्यता स्वीकार करने या न करने सम्बन्धित सूचना उन्हें उत्तराँचल स्वायत्त सहकारी अधिनियम २००३ की धारा १६ (२) के अन्तर्गत पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी।

४. कोई भी व्यक्ति सहकारिता के संगम अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों को मानने, सहकारिता के सिद्धान्तों को मानने एवं सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में हो या इस तरह की बांछा रखता/रखती हो वह सहकारिता की सदस्यता ग्रहण करने का पात्र होगा/होगी।

५. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सहकारिता के बोर्ड द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क प्रदान करने की बांछा रखता है वह सहकारिता की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।

६. सदस्यता ग्रहण करने के लिए सहकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति की प्रतिबद्धता की बांछा मुख्य आधार होगी।

५. (ब) अप्रात्र सदस्य

१. जो दिवालिया हो, अवयस्क हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जो समूह, अनिराक्षेत्र, अव्यवस्थित, वित्तीय लेन देन के डिफाल्टर हो एवं सहकारिता के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत न रहते हो सहकारिता की सदस्यतो ग्रहण नहीं कर सकते हैं।

२. जो सहकारिता के संगम अनुच्छेदों को स्वीकार नहीं करना चाहते हों।

३. सहकारिता के संगम अनुच्छेदों को स्वीकार नहीं करना चाहते हों।

४. सेवाओं के उपभोग करने की स्थिति में न हो।

५. जिन पर न्यायालय द्वारा अभियोग साबित किया जा चुका हो, या

६. सजा प्राप्त कर चुके हों, या

७. सामाजिक मान्यता न रखते हो सदस्यता के पात्र नहीं होंगे।

सहकारिता सभी सेवाओं को अपने सक्रिय सदस्यों के अतिरिक्त गैर सक्रिय सदस्यों को भी अपने कार्यक्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए स्वतन्त्र होगी, बशर्ते कि गैर सदस्य :-

१. सहकारिता के नियम-कानूनों के अन्तर्गत कार्य करने के इच्छुक हो,

२. सहकारिता के उद्देश्यों के अनुरूप ही उनकी गतिविधियां निर्धारित हो, या

३. सहकारिता की सेवाओं के माध्यम से क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त हो रहा हो, तथा

४. गैर सदस्य भविष्य में सहकारिता की सदस्यता ग्रहण करने की बांछा रखते हो, एवं

५. इस आशय हेतु बोर्ड को अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु सहमत हों।

नोट : संगम अनुच्छे की धारा ४ (अ) में वर्णित शर्तों की पूर्ति के आधार पर सभी महिला स्वयंसहायता समूह या उनके सदस्य सहकारिता की सामान्य सदस्यता ग्रहण करने के पात्र होंगे।

५. (स) सदस्यता बनाये रखने के लिए पात्रता एवं अपात्रता

उपरोक्त शर्तों के आधार पर सदस्यता तब तक बनी रह सकेगी जब तक कि वे स्वयं सदस्यता समाप्त करने की बांछा नहीं रखते हैं।

५. (द) सदस्यता से हटना

कोई भी सहकारिता या व्यक्ति उसके सदस्य सहकारिता की सदस्यता से हटने के लिए इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर सकते हैं। उनके प्रार्थना पत्र पर संचालक मण्डल (बोर्ड) द्वारा विचार कर उन्हें १५ दिन की अवधि के अन्तर्गत पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेजी जायेगी। सदस्यता से हटने के लिए प्रार्थना पत्र में कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा।

५. (ध) सदस्यता से हटने की प्रक्रिया

सदस्यता समाप्ति के आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद संचालक मण्डल (बोर्ड) द्वारा उन सभी बाध्यताओं की पूर्ति उस सदस्य समूह से पूर्ण कर ली जायेगी जो कि संगम अनुच्छेद की धाराओं के अनुसार या उद्देश्यों के अनुरूप उसके ऊपर स्वतः लागू थी। तत्पश्चात् उसकी सदस्यता बोर्ड के निर्णयानुसार स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

५. (न) सदस्यता समाप्ति एवं प्रक्रिया

१. सहकारिता के विखंडन की स्थिति में

उपाथठ महिला महासघ ऊखीमठ

सरला अध्यक्षा

उपाथठ महिला महासंघ ऊखीमठ

श्रीमती -धूमा देवी सचिव

२. किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर
३. दिवालिया या पागलपन की स्थिति पर
४. संगम अनुच्छेद में वर्णित नियम-कानूनों एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल आचरण पर।
५. अपराध में संलिप्त पाये जाने की स्थति में।
६. सहकारिता की सेवाओं का उपयोग न करने की स्थिति में।
७. सहकारिता द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन न करने पर।
८. स्वतः सदस्यता समाप्ति की इच्छा रखने पर सहकारिता की सदस्यता समाप्त की जायेगी। सदस्यता समाप्ति पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति एवं सदस्यों को कारण सहित बोर्ड द्वारा सूचना प्रदान की जायेगी एवं उसकी सदस्यता संख्या रजिस्टर से काट दी जायेगी। यदि बोर्ड द्वारा यह माना जाय कि कोई सदस्य सहकारिता के उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रहा है तो उसे कारण बताओ नोटिस जानी किया जायेगा एवं ७ दिन के अन्दर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहता है या उसके द्वारा कारण स्पष्ट नहीं हो पाता या बोर्ड उसके स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं होता है तो इस दशा में बोर्ड उसकी सदस्यता को समाप्त करने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा।

६. सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य ✓

६ (क) सदस्यों के अधिकार

१. सहकारिता संघ या समूहों को मताधिका का अधिकार प्राप्त होगा।
२. मत का अधिकार रखने वाले सहकारित में वे सदस्य होंगे जिन्होंने कि अपने सदस्यता के सम्बन्ध में सहकारिता को संदाय कर दिया हो तथा
३. सहकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति में निरन्तर अपना हित रखा हो।
४. सहकारिता के संगम अनुच्छेदों के अनुस सेवायें उपयोग की हो।
५. मताधिकार का अधिकार रखने वाले सहकारिता के सक्रिय सदस्य हों जो कि सहकारिता की बैठकों में लगातार भाग ले रहे हों एवं जिन्हों चालू वित्तीय वर्ष में सहकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरन्तर प्रयास किया है।
६. सहकारिता के पदाधिकारी या सहकारिता का मुख्य कार्यपालक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के २० दिन पूर्व सदस्यों की सूची बनायेगा जिनमें कि मत देने वाले सदस्य होंगे तथा एक अन्य सूची तैयार करेगा जिनमें मत न देने वाले सदस्य सम्मिलित होंगे। सूची चालू वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।
७. समस्त सदस्यों की जानकारी के लिए यह सूची सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।
८. ऐसा कोई सदस्य जो सूचियों में सदस्यों के समावेश या असमावेश के निर्णय से संतुष्ट नहीं है वह सूचना प्रसारित करने के तिथि से १० दिन के अन्दर बोर्ड के अभिलेख पुनः अवलोकन करने के लिए अपील कर सकेगा।
९. ऐसी दशा में बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पैंतालिस दिन के अन्दर सूचियों का पुर्नावलोकन करेगी। सूचियों को अन्तिम रूप देगा एवं उन्हें सूचना पटल पर चस्पा करेगा।
१०. सहकारिता में सदस्यों को एक मत देने का अधिकार होगा।
११. मत देने का अधिकार उसी सदस्य को होगा जो कि कम से कम एक वर्ष तक पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए सदस्य रह चुके हों।
१२. एक वर्ष की सदस्यता की शर्त उन सदस्यों पर लागू नहीं होगी जो सहकारिता के पंजीकरण के पश्चात किसी भी समय किन्तु प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व सदस्य बनते हैं।
१३. सदस्यों को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले लाभ या हानि को वहन करने का अधिकार होगा।
१४. सदस्यों को सहकारिता की गतिविधियों, क्रियाकलापों व भावी गतिविधियों को जानने का अधिकार होगा।
१५. सदस्यों को वित्तीय वर्ष के अन्त में सहकारिता की वास्तविक वित्तीय स्थिति जानने का अधिकार होगा।
१६. सदस्यों को सहकारिता की बैठक की कार्यवाही एवं निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता का अधिकार होगा।

६ (ख) सदस्यों के दायित्व ✓

१. सहकारिता के सदस्यों का दायित्व उनकी बचत या पूंजी के पांच गुना तक होगा। अंश पूंजी का निर्धारण (न्यूनतम) सहकारिता द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बोर्ड की बैठक में किया जायेगा।
२. सदस्यों के दायित्वों का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।
३. सहकारिता द्वारा यदि अपने सदस्यों के दायित्व की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो सहकारिता संशोधन की एक प्रति इस तिथि से १५ दिन के अन्दर अपने सदस्यों, लेनदारों को देगी तथा संगम अनुच्छेद, एवं संविदा के उपबंधों में किसी विपरीत तथ्य के होते हुए भी उन सदस्यों को भी देगी जिनहोंने दायित्वों के प्रस्तावित परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है।
४. किसी लेनदार को सूचना के १५ दिन के अन्दर सहकारिता के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापिस लेने का अधिकार होगा।

उषामठ महिला महासंघ ऊखीमठ

सरला अध्यक्षा

उषामठ महिला महासंघ ऊखीमठ

श्रीमती - धूमा देवी सचिव

५. कोई भी सदस्य या लेनदार जो सहकारिता के संगम अनुच्छेद की इस धारा ५ (ख) ४ के अधीन विकल्प का प्रयोग निर्धारित अवधि के अन्तर्गत करने में असफल रहता है तो यह समझा जायेगा कि उसने दायित्वों में परिवर्तन की अनुमति दे दी है।

६. सहकारिता के संगम अनुच्छेद की धारा (ख) की उपधारा के अधीन पारित कोई भी संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक कि -

(अ) सहकारिता के उन सदस्यों के लेनदारों, जिन्होंने विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे समस्त रूप से पूर्ण न कर दिये गये हों, या उनका समाधान न कर दिया गया हो।

(ब) संशोधन को प्रभावी बनाने हेतु संगम अनुच्छेद में संशोधन की सूचना रजिस्ट्रार को उपलब्ध करायी जायेगी।

७. यदि सहकारिता के विघटन का आदेश पारित होता है तो किसी भूतपूर्व सदस्य पर जो कि विघटन की तिथि से ठीक दो वर्षों के अन्दर सदस्य नहीं रहा हो, या किसी मृत सदस्य पर जिसकी कि विघटन के आदेश की तिथि के ठीक दो वर्ष के अन्दर मृत्यु हो गयी हो, सम्पदा का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तब कि विघटन की सम्पूर्ण कार्यवाही न की जाय, परन्तु

८. ऐसा दायित्व सहकारिता के उन ऋणों तक ही सीमित होगा जिस तिथि तक वह सदस्य रहा हो या जिस तिथि पर उसकी मृत्यु की सूचना सहकारिता को प्राप्त हुई हो।

नोट : साधारण निकाय :

१. सहकारिता का एक साधारण निकाय होगा एवं एक निदेशक बोर्ड होगा। साधारण निकाय में सभी सदस्य सम्मिलित होंगे। सहकारिता के संगम अनुच्छेद की धाराओं के अधीन सहकारिता की अन्तिम शक्ति सदस्यों के द्वारा गठित साधारण निकाय में निहित होगी, परन्तु ऐसी कोई बात/तथ्य जो कि सहकारिता के संगम अनुच्छेद की धार (६) के अन्दर वर्णित है, सहकारिता के बोर्ड अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इसके माध्यम से सहकारिता के बोर्ड या सहकारिता को प्रदत्त शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

२. सहकारिता के कार्य क्षेत्र के अन्दर आने वाला ऐसा कोई भी वैधानिक कृत्य या उत्तरदायित्व, जिसको निभाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से किसी पदाधिकारी या मुख्य कार्यपालक को नहीं सौंपी गयी है, को करने या उसका समाधान करने की शक्ति बोर्ड के माध्यम से सहकारिता की होगी।

७. (१) साधारण निकाय के कर्तव्य

वार्षिक आम सभा में साधारण निकाय द्वार निम्नलिखित या इनके अतिरिक्त कोई ऐसा विषय जो संगम अनुच्छेद में वर्णित नहीं है या ऐसा विषय जो सहकारिता की कार्य प्रणाली, कार्यक्षेत्र या भावी विस्तार से सम्बन्धित हो उसका निर्णय किया जायेगा।

१. साधारण निकाय की बैठकों में पिछले बैठकों के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श एवं कार्यवाही।
२. आवश्यक होने पर सहकारिता की दीर्घकालीन योजनाओं एवं बजट पर विचार।
३. वार्षिक कार्य योजना एवं चालू वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार।
४. चालू वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।
५. पिछले वित्तीय वर्षों की प्रगति पर विचार-विमर्श।
६. पिछले वितीय वर्षों के लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणों और पिछले वर्ष से सम्बन्धित लेखा रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।
७. पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा रिपोर्ट में अनुमोदित बजट के विचलन, यदि कोई हो, के कारण पर विचार एवं समुचित कार्यवाही का निर्धारण।
८. साधारण निकाय की बैठक में पिछले वर्ष का यदि कोई आधिक्य हो तो उसका निपटारा।
९. यदि पिछले वर्ष सहकारिता को घाटा हुआ है तो साधारण निकाय की बैठक में उस घाटे का प्रबन्धन भी किया जायेगा।
१०. साधारण निकाय की बैठक में सहकारिता के लिए विशिष्ट आरक्षित एवं अन्य कोषों का सृजन किया जायेगा।
११. साधारण निकाय की बैठक में सहकारिता के आरक्षित एवं अन्य कोषों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा की जायेगी।
१२. सहकारिता की सेवाओं के उपयोग की निदेशकों द्वारा समीक्षा।
१३. सभाओं में उपस्थिति के सम्बन्ध में निदेशकों द्वारा दी गयी रिपोर्ट की समीक्षा।
१४. सहकारिता के किसी निदेशक, कार्यपालक या आन्तरिक लेखा परीक्षक को दिये गये भुगतान या परिश्रमिक की समीक्षा।
१५. गैर सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के अनुपात और प्रतिशत की समीक्षा।
१६. यदि किसी सदस्य की सदस्यता बोर्ड द्वारा निरस्त की गयी हो तो उसकी अपील पर सुनवायी साधारण निकाय की बैठक में होगी।

उखीमठ महिला महासंघ ऊखीमठ
सरला
अध्यक्ष

उखीमठ महिला महासंघ ऊखीमठ
श्रीमती - कुसुम देवी
सचिव

१७. साधारण निकाय में यदि किसी आवेदक का सदस्यता ग्रहण करने सम्बन्धित आवेदन बोर्ड द्वारा निरस्त किया गया हो उस पर अपील की जा सकेगी।

१८. सदस्यों एवं कर्मचारी वृन्द के शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यकलापों एवं लेखा रिपोर्ट की समीक्षा भी साधारण निकाय की वार्षिक आम सभा में की जायेगी।

७.१. सहकारिता के साधारण निकाय की आम बैठक या अन्य बैठकों में बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने पर निम्नलिखित विषयों या इनके अतिरिक्त कोई अन्य विषयों पर कार्यवाही की जायेगी।

१. निदेशकों का चुनाव करना।
२. सहकारिता के संगम अनुच्छेदों में संशोधन
३. पदाधिकारी एवं निदेशकों को पदच्युत करना।
४. सहकारिता के बोर्ड की असामयिक रिक्तियों की पूर्ति हेतु चुनाव/ नियुक्ति करना।
५. लेखा परीक्षकों को हटाया जाना एवं सापेक्ष नियुक्ति।
६. स्वयंसहायता समूहों की लघु बचत एवं ऋण कार्यक्रमों की समीक्षा एवं स्वयंसहायता समूहों को लघु ऋण प्रदान करने पर विचार-विमर्श।
७. सहायक सहकारितायों में सहकारिता की सदस्यता।
८. अन्य सहकारी सहकारितायों, राजकीय विभागों, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी संगठनों/ कम्पनियों के साथ संयुक्त व्यवसाय, परियोजना/ कार्यक्रम सहकारिता के उद्देश्यों के अनुरूप संचालन करने पर विचार-विमर्श।
९. सहकारिता के साधारण निकाय की वार्षिक आम सभा या अन्य सभा में अस्तियों, दायित्वों का समामेलन, विभाजन, संलयन और अंतरण प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया जायेगा।
१०. सहकारिता का विघटन भी साधारण निकाय की सभा की संस्तुति पर किया जायेगा।
११. अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय संस्थाओं से सहकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान/ अनुदान एवं वित्तीय सहायता/ ऋण लेने पर विचार।

८. साधारण सभा ✓

१. बोर्ड द्वारा सहकारिता के सदस्यों की किसी भी समय साधारण सभा बुलाने का अधिकार होगा। परन्तु
२. वार्षिक साधारण सभा के विनिर्दिष्ट मामलों पर कार्यवाही हेतु सहकारिता के चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ पचास दिन के अन्दर आहूत किया जायेगा।
३. सहकारिता के बोर्ड सदस्यों द्वारा यदि कोई बैठक बुलाने का आग्रह किया जाता है तो विशिष्ट आग्रह पत्र प्राप्त होने की तिथि से ३० दिन के अन्दर विशेष साधारण सभा बुलाई जा सकती है। लेकिन

(अ) आग्रह पत्र पर मत देने वाले १/५ सदस्यों या ५०० सदस्य, जो भी कम हों उनकी सहमति होनी चाहिये, या
(ब) रजिस्ट्रार द्वारा इस सहकारिता के संगम अनुच्छेदों के अन्तर्गत सम्पादित किये गये या किये जाने वाले कृत्यों के सम्बन्ध में, परन्तु
(स) आग्रह पत्र में इस तथ्य का स्पष्टीकरण दिया जाना होगा कि यह बैठक बुलाना क्यों अनिवार्य है, और क्यों विनिर्दिष्ट तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है एवं विशेष बैठक में आग्रह पत्र में विनिर्दिष्ट मुद्दों के अतिरिक्त अन्य कोई मुद्दा विचाराधीन नहीं होगा।

४. सहकारिता के संगम अनुच्छेद की धारा ७ की उप धारा (१), (२) एवं (३) के अन्तर्गत वार्षिक साधारण सभा या विशेष साधारण सभा होनी आवश्यक होगी और यदि बोर्ड विनिर्दिष्ट समयावधि में बैठक बुलाने में असफल रहता है तो समस्त निदेशकों को स्वतः ही पदच्युत समझा जायेगा।
५. सहकारिता के बोर्ड के समस्त निदेशक वार्षिक साधारण सभा की तिथि पर पद नहीं माने जायेंगे यदि पिछली वित्तीय वर्ष की लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षा की टिप्पणियां, यदि कोई हो तो, एवं गत वर्ष के क्रियाकलापों की रिपोर्ट के साथ सदस्यों को उपलब्ध नहीं करा दी जाती है जिस पर साधारण निकाय द्वारा विचार किया जाना हो। ऐसी बैठकों का संचालन माध्यस्थम अभिकरण द्वारा या बोर्ड द्वारा चयनित अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
६. साधारण सभा के लिए सहकारिता की गणपूर्ति कुल सदस्यों के १/३ होगी लेकिन सभा में मतदान के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों के १/५ होगी।
७. सहकारिता द्वारा प्रत्येक सभा की कार्यवाही सभी सदस्यों को कार्यपालक के माध्यम से सभा की तिथि से १५ दिन के अन्दर प्रेषित करेगी।
८. सभा की कार्यवाही बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। यदि अपेक्षित समय में उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं तो बोर्ड द्वारा निर्धारित प्राधिकृत निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर कार्यवाही सदस्यों में वितरण हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

९. सहकारिता का निदेशक बोर्ड

उखीमठ महिला महासंघ ऊखीमठ — सरला अध्यक्षा

उखीमठ महिला महासंघ ऊखीमठ — श्रीमती धूमादेवी सचिव

१. सहकारिता की गतिविधियों का समस्त प्रबन्धन निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित किया जायेगा, जो कि संचालक मण्डल भी कहलाया जा सकता है। सहकारिता प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर निदेशक बोर्ड गठित करेगी।

२. यदि सहकारिता के निदेशक बोर्ड का गठन तत्काल नहीं होता है तो सहकारिता का अध्यक्ष एक प्रवर्तक बोर्ड का गठन करेगा जो कि सहकारिता के पंजीकरण से १ वर्ष की अवधि के अन्दर विधिवत रूप से निदेशक बोर्ड का गठन करेगी एवं निदेशक बोर्ड के अस्तित्व में आते ही प्रवर्तक बोर्ड प्रभावी माना जायेगा।

३. सहकारिता के निदेशक बोर्ड में ७ सदस्य होंगे, परन्तु बोर्ड का आकार पंजीकरण होने पर प्रथम वित्तीय वर्ष के अन्त तक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विधिवत रूप से निर्धारित किया जायेगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित विभाग, रजिस्ट्रार एवं सदस्यों को ३० दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

१०. (अ) सहकारिता के बोर्ड के कार्य

१. सहकारिता का बोर्ड संगम अनुच्छेदों के अन्तर्गत निर्धारित कृत्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड के निम्न कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होंगे :-

२. सहकारिता सहकारिता के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की व्याख्या करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करना एवं सहकारिता के कार्यों का नियमित रूप से निर्धारित अवधि के अन्तराल पर मूल्यांकन करना।

३. पदाधिकारियों का चुनाव करना एवं विपरीत आचरण करने पर उन्हें पद से हटाना।

४. मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति करना एवं विपरीत आचरण करने पर उन्हें पद से हटाना।

५. सहकारिता के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतमान, भत्ते, अनुशासनात्मक नियम-कानूनों का निर्धारण करना एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियम बनाना।

६. सहकारिता की दीर्घकालीन स्वरूप की योजना तैयार करना, वार्षिक योजना एवं बजट को अंतिम रूप देना तथा साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित योजना एवं बजट के अनुसार सहकारिता के क्रिया-कलापों को संचालित करने हेतु निर्देशित करना।

७. सहकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी, गैर सरकारी एवं स्थानीय स्रोतों से कोष का प्रबन्ध करना।

८. चल-अचल सम्पत्ति का अर्जन एवं व्यय के लिए मुख्य कार्यपालक, निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत करना।

९. सहकारिता का बोर्ड सेवाओं, कोषों, लेखादेयता, सूचना एवं रिपोर्ट से सम्बन्धित विनियमों की विरचना करेगा, अनुमोदित करेगा एवं अवश्यकतानुसार संशोधित करेगा।

१०. सहकारिता के सुचारू प्रबन्धन की व्यवस्था का दायित्व बोर्ड का होगा।

१० (ब) बोर्ड के निदेशकों के दायित्व :

सहकारिता का प्रत्येक निदेशक सहकारिता के संगम अनुच्छेद धाराओं, उपधाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विवरण के अनुरूप कार्यों, दायित्वों एवं शक्तियों का निर्वहन करेगा।

१. निदेशक से यह अपेक्षित है कि वे ईमानदारी, सद्विश्वास एवं सहकारिता के सर्वोत्तम हितों के लिए कार्य करेंगे।

२. निदेशक दूरदर्शिता का परिचय देकर कुशलता, सावधानी एवं नियोजित तरीके से सहकारिता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे।

३. यदि किसी निदेशक के कृत्यों के कारण सहकारिता को राजस्व की हानि हुई है तो इसके लिए वह निदेशक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

४. कोई भी निदेशक विश्वास भंग करने, पूंजी दुरूपयोग करने, शक्तियों का दुरूपयोग करने या प्रतिकूल आचरण करने पर पदच्युत किया जायेगा, यदि उसके द्वारा किये गये कृत्य या कृत्यों की सीमा गम्भीर हो या सहकारिता को चल-अचल सम्पत्ति का नुकसान हुआ हो तो उस पर न्यायालय में मुकदमा भी चल [illegible] जायेगा।

११. बोर्ड निदेशकों के लिए पात्रता

कोई भी व्यक्ति/समूह संघ/ स्वयंसहायता समूह या सदस्य बोर्ड निदेशक के लिए पात्र माना जायेगा, यदि वह,

१. सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति, समूह/स्वयंसहायता समूह का सदस्य है।

२. वह पागल एवं दिवालिया न हो।

३. वह स्वस्थ, मानसिक प्रवृत्ति एवं व्यवहार का हो।

४. नशा, उन्माद या मानसिक व्याधि से पीड़ित न हो।

५. सजा प्राप्त/मुजरिम/ अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति न हो।

६. चोरी गबन इत्यादि आरोप से ग्रसित न हो। इसके अतिरिक्त

७. निदेशक पद के लिए उम्मीदवार व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार होना चाहिए।

८. सदस्य ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सहकारिता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय सहयोग दिया हो।

९. सहकारिता का प्रवर्तक हो, या

१०. विशिष्ट सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो।

ऊखीमठ महिला महासंघ ऊखीमठ
सरला अध्यक्षा

[illegible] महिला महासंघ ऊखीमठ
श्रीमती कुसुमा देवी सचिव

१२. बोर्ड के निदेशकों का चुनाव

१. बोर्ड के निदेशकों का चयन साधारण निकाय द्वारा सहकारिता के संगम अनुच्छेद की धारा (१०) में वर्णित पात्रता की शर्तों के आधार पर प्रजातान्त्रिक प्रणाली से किया जायेगा।

२. निदेशकों के पद छोड़ने से पूर्व ही चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

३. निदेशकों का चयन वार्षिक साधारण सभा के दौरान किया जायेगा।

४. यदि बोर्ड द्वारा चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है तो निदेशक तब से अपने पद पर नहीं रहेंगे।

५. यदि बोर्ड निदेशकों की पदावधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव करने में असफल रहता है या चुनाव प्रक्रिया रोक/निलंबित की जी है या बोर्ड द्वारा कोई उपराचात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाती है या बोर्ड में कोई निदेशक नहीं रह गया है तब वहां माध्यस्थम अधिकरण सहकारिता के संगम अनुच्छेद की धारा (८) में यथा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत उन सदस्यों में से जो माध्यस्थम अधिकरण के सदस्य नहीं है या निवर्तमान होने वाले बोर्ड के सदस्य नहीं है और जो शुरू किये गये चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशी नहीं है उनमें से तीन सदस्यों का एक अन्तरिम बोर्ड का गठन करेगा जो कि नियमित बोर्ड गठन तक सहकारिता की कार्यों को सम्पादित करेंगे।

६. अन्तरिम बोर्ड की कार्यावधि तीन माह से अधिक नहीं होगी। नियमित बोर्ड गठित होने पर अन्तरिम बोर्ड का कार्यकाल/ अधिकार स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे।

७. निदेशकों का चयन चक्रानुक्रम में किया जायेगा अर्थात एक बार निदेशक पद पर कार्य करने के पश्चात वह व्यक्ति निदेशक के पद के लिए तब तक दावेदार नहीं होगा जब कि कि उसका स्वाभाविक क्रम नहीं आता। परन्तु

८. यदि किसी निदेशक का कार्यकाल विशिष्ट माना गया हो या उसके समतुल्य योग्यता वाला सक्षम व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो सहकारिता साधारण निकाय अपने विवेक के आधार पर उस व्यक्ति को पुनः प्रत्याशी बनने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

९. यदि बोर्ड में निदेशक के पद रिक्त हैं या चुनाव के लिए गणपूर्ति पर्याप्त नहीं हैं तो वहां शेष निदेशक बोर्डकर समस्त शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे एवं रिक्त पदों की पूर्ति के लिए निकाय की बैठक बुला सकेंगे।

१०. यदि गणपूर्ति है लेकिन निदेशकों के सभी पद रिक्त हैं वहां सहकारिता का माध्यस्थम बोर्ड साधारण निकाय की सभा बुलायेगा।

११. निदेशक का चयन साधारण निकाय के सदस्यों एवं यदि कोई शेष निदेशक हैं तो उनके द्वारा मत देकर या निर्विरोध किया जा सकता है।

१२. चयन प्रणाली गैर राजनैतिक, भेदभाव रहित एवं पूर्ण रूप से निष्पक्ष होगी जिसमें बाहरी व्यक्ति या किसी भी प्रकार के दल का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा।

१३. बोर्ड निदेशक को पद से हटाना

बोर्ड निदेशकों को साधारण निकालय द्वारा निम्न में से किसी एक कृत्य के आधार पर या ऐसा कोई कृत्य हो, हटाया जा सकेगा।

१. सहकारिता की शक्तियों का प्रयोग निजी स्वार्थ पूर्ति/हित में करना।
२. सहकारिता को पूंजीगत हानि पहुंचाया।
३. सहकारिता की साख खराब करना
४. उद्देश्यों के विपरीत कार्य करना
५. सभाओं में अनुपस्थित रहना।
६. अनुशासन भंग करने की दशा में।
७. सहकारिता के क्रियाकलापों में रूचि न रखने पर
८. साधारण सभा का आयोजन न करना।
९. साधारण निकाय को सहकारिता के कार्यकलापों, गतिविधियों, लेखा प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित तथ्यों को उपलब्ध न कराना।
१०. सहकारिता की दीर्घकालीन या अल्पकालीन योजनाओं के निर्धारण में असफल रहना।
११. सहकारिता के नाम पर निजी व्यवसाय करना।
१२. सहकारिता के सदस्यों के हितों को संरक्षित न करना।

१४. बोर्ड की बैठक

१. सहकारिता का अध्यक्ष बोर्ड की बैठक किसी भी समय बुला सकता है
२. सहकारिता की एक वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कम से कम ४ बोर्ड बैठकें आयोजित की जायेंगी जो कि १२० दिन की अवधि के अन्तराल पर बुलायी जायेंगी।

... महासंघ ऊखीमठ
सरला
अध्यक्ष

... महासंघ ऊखीमठ
श्रीमती-चुन्नादेवी
सचिव

३. यदि बोर्ड के १/३ सदस्यों द्वारा या लेखा परीक्षक द्वारा कारण सहित एवं इस आश्वासन के साथ कि आग्रह पत्र में उल्लेखित तथ्य/मुद्दे के अतिरिक्त किसी अन्य तथ्य/मुद्दों पर चर्चा नहीं की जायेगी तो सहकारिता के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की १५ दिन के अन्दर विशिष्ट बैठक भी बुलाई जा सकती है।

४. यदि अध्यक्ष सहकारिता के संगम अनुच्छेद की धारा (१३) के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रणाली एवं समयावधि में निदेशकों की बैठक बुलाने में असमर्थ रहता है तो वह निर्धारित तिथि पर अध्यक्ष पद पर नहीं रहेगा।

५. यदि किसी व्यक्ति को सहकारिता के संगम अनुच्छेद की धारा १३ (५) के कारण अध्यक्ष पद से च्युत किया जाता है तो वह छः वर्ष की समयावधि तक अध्यक्ष पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

६. बैठक की सूचना विनिर्दिष्ट मुद्दों सहित सभी निदेशकों को १५ दिन पूर्व प्रेषित की जायेगी।

७. निदेशकों की बैठक के लिए कुल निदेशकों की सख्या की आधे से अधिक या १/२ गणपूर्ति आवश्यक होगी।

८. बोर्ड की बैठक पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक होगी एवं सभी निदेशकों को मताधिकार प्राप्त होगा।

९. यदि कोई निदेशक जानबूझकर बोर्ड की लगातार ३ सभाओं में अनुपस्थित रहता है तो वह तृतीय सभा की तिथि तक सहकारिता के बोर्ड का निदेशक नहीं रहेगा।

१०. सहकारिता बैठक की कार्यवाही का पूर्ण विवरण हिन्दी भाषा में रखेगी एवं सहकारिता का कार्य पालक ७ दिन के अन्दर अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर समस्त निदेशकों को प्रेषित करेगा।

११. अभिलिखित सभा की कार्यवाही पर उस सभा का संचालन करने वाला अध्यक्ष या आगामी सभा का संचालन करने वाला अध्यक्ष भी हस्ताक्षर कर सकता है।

१५. निदेशकों का कार्यकाल

सहकारिता के बोर्ड के निदेशकों का कार्यकाल सामान्य स्थिति में ३ वर्ष का होगा।

१६. सहकारिता के पदाधिकारी

सहकारिता के अध्यक्ष सहकारिता के पदाधिकारी कहलाये जायेंगे एवं सहकारिता का सचिव सहकारिता का मुख्य कार्यपालक होगा।

१७. अध्यक्ष के कर्तव्य, दायित्व, चयन एवं निष्कासन

(अ) १. अध्यक्ष का कर्तव्य संचालक मण्डल की बैठक बुलाना, संचालकों के कार्यों की समीक्षा करना एवं संचालकों को निर्देशित करना होगा।

२. संचालक मण्डल सहकारिता के समस्त क्रियाकलापों के लिए अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

३. अध्यक्ष को सहकारिता की मुद्रा प्रयोग करने का अधिकार होगा।

४. अध्यक्ष किसी भी समय पूर्व सूचना या बिना पूर्व सूचना के लेखा परीक्षण सम्बन्धित कार्य का आंकलन कर सकता है।

५. अध्यक्ष, सचिव/मुख्य कार्यपालक के साथ संचालक मण्डल की बैठकों का एजेण्डा तैयार करेगा एवं सचिव के माध्यम से संचालक मण्डल को सहकारिता के संगम अनुच्छेद की धारा (६) के अन्तर्गत निर्धारित समय पर सूचना प्रेषित करेगा।

१७. (ब) १. अध्यक्ष सहकारिता के समस्त क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होगा।

२. अध्यक्ष सहकारिता के मामलों, कार्यों के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पत्थ प्रदर्शन के उत्तरदायी होगा।

३. अध्यक्ष ऐसी अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगा जो सहकारिता के संगम अनुच्छेद में वर्णित है।

४. आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष बोर्ड के अधिकार अपने पास ले सकता है।

५. बोर्ड की बैठकों का सभापतित्व करने का दायित्व अध्यक्ष का होगा।

६. अध्यक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह देखे कि सहकारिता का कारोबार दृढ़ रूप से और संगम अनुच्छेद की धाराओं में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संचालित हो रहा है।

१७ (स) चयन एवं कार्यकाल

१. अध्यक्ष का चयन साधारण निकाय के समस्त सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक प्रणाली से किया जायेगा।

२. अध्यक्ष मतदान के माध्यम से या सदस्यों के आपसी सहमति से निर्विरोध चयनित किया जा सकता है।

३. प्रारम्भ में सहकारिता के पंजीकरणकर्ता एवं प्रवर्तक ही सहकारिता के पदाधिकारी होंगे।

१७ (द) १. सामान्यतः अध्यक्ष का कार्यकाल १ वर्ष का होगा। जिस तिथि से अध्यक्ष पद ग्रहण करता है उसी तिथि से उसके कार्यकाल की गणना होगी।

२. यदि साधारण निकाय के सभी सदस्यों की सहमति हो तो अध्यक्ष को अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद तुरन्त होने वाले मतदान में पुनः प्रत्याशी होने का अधिकार होगा।

१७ (य) अध्यक्ष का निष्कासन

१. अध्यक्ष द्वारा सहकारिता के संगम अनुच्छेद की धारा १३ (१) एवं १३ (४) के अधीन अपने कर्तव्यों एवं दायित्व का पालन करने में असफल रहने पर।

महासंघ ऊखीमठ — अध्यक्षा

महासंघ ऊखीमठ — सचिव

२. सहकारिता की शक्तियों, नाम एवं साख की निजी हित, स्वार्थपूर्ति, व्यक्तिगत व्यवसाय संचालन या सहकारिता के उद्देश्यों के विपरीत आचरण करने पर।
३. सदस्यों द्वारा अविश्वास मत पारित करने पर।
४. सहकारिता की पूंजी का दुरूपयोग करने पर या सहकारिता को पूंजीगत या गैरपूंजीगत हानि पहुँचाने पर।
५. अपने कर्तव्यों का पालन न करने की दशा में।

१८. सहकारिता का सचिव

१. सहकारिता का सचिव सहकारिता का मुख्य कार्यपालक होगा, जिसका चयन सहकारिता के बोर्ड निदेशकों एवं अध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा।
२. सचिव का चयन भी प्रजातांत्रिक प्रणाली से होगा एवं उसके चयन, निष्कासन से सम्बन्धित नियम/प्रणाली वही होगी जो अध्यक्ष एवं सहकारिता के बोर्ड के निदेशकों के लिए सहकारिता के संगम अनुच्छेद में निर्दिष्ट है।
३. सचिव सहकारिता के अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में कार्य करेगा। सचिव के निम्न कार्य होंगे :-
    १. सहकारिता के कार्यों का सम्यक प्रबन्धन एवं उसके कुशल प्रशासन का दायित्व
    २. सहकारिता के प्राधिकृत सामान्य दैनिक कार्यों का निपटारा।
    ३. बोर्ड निदेशकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप लेखों का परिचालन करना।
    ४. सहकारिता की ओर से सभी लेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उन्हें प्रमाणित करनां
    ५. सहकारिता के विभिन्न अभिलेखों, बाहियों, पुस्तकों का रख रखाव एवं उन्हें पूर्ण करना।
    ६. निबन्धक या राज्य सरकार के निर्देशानुसार सहकारिता के संगम अनुच्छेदों में संशोधन, पत्र व्यवहार, सूचना प्रगति रिपोर्ट इत्यादि को तैयार कर सूचना प्रदान करना।
    ७. संचालक मण्डल एवं साधारण निकाल की आम सभाओं/विशिष्ट सभाओं/आपातकालीन सभाओं की सूचना समस्त सदस्यों को प्रेषित करना।
    ८. बैठक की कार्यवाही तैयार करना एवं सूचनार्थ सदस्यों/सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं तक पहुंचाना।
    ९. अध्यक्ष एवं निदेशकों के निर्देश पर सहकारिता की सभायें आयोजित करना।
    १०. समय-समय पर सौंपे गये कार्यों को सम्पादित करना।
    ११. सचिव, निदेशक बोर्ड एवं अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुरूप सहकारिता के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी करेगा एवं कर्मचारियों को नियुक्त करेगा।
    १२. अध्यक्ष एवं बोर्ड के निर्देशकों से सलाहकर लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु सूचना जारी करेगा।

१९. (अ) वित्त एवं वित्तीय प्रबन्धन

१. सहकारिता का वित्तीय वर्ष ०१ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा।
२. सहकारिता अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी, निक्षेप, अनुदान एवं उधार सहित निधियां जुटा सकेगी।
३. सहकारिता राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्रोतों, सरकारी-गैर सरकारी, निजी क्षेत्रों तथा संस्थाओं से पूंजी का प्रबन्ध कर सकेगी।
४. सहकारिता द्वारा जुटाई गयी निधियां उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय की जायेगी।
५. सहकारिता अपने निधियों को आवश्यकतानुसार अपने सदस्यों को दीर्घकालीन ऋण, जो कि सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के होंगे, या अल्पकालीन ऋण जो कि एक वर्ष की अवधि के होंगे, या इससे कम की अवधि के होंगे, के रूप में दे सकेगी।
६. यदि सहकारिता के पास अतिरेक होगा तो वह इसका विनियोग किसी भी क्षेत्र में करने के लिए स्वतंत्र होगी।
७. ऋण प्रदान करने सम्बन्धित विनियमों को सहकारिता का कार्यपालक/सचिव अध्यक्ष एवं निदेशक बोर्ड के सलाह मशविरे से तैयार करेगा।
८. यदि सहकारिता को किसी भी वित्तीय वर्ष में कारोबार करने से लाभ होता है तो वह अधिशेष को
    १.घाटा पूर्ति के लिए सुरक्षित कर सकती है।
    २.सदस्यों में अधिशेष वापसी के रूप में वितरित कर सकती है।
    ३.कारोबार को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है।
    ४.आरक्षित की गई राशियां/निधियों के लिए
    ५.सदस्यों को सामान्य सेवा प्रदान करने के लिए।
    ६.कर्मचारियों को पुरस्कार अथवा प्रोत्साहन देने के लिए उपयोग कर सकती है।
९. सहकारिता के अधिशेष को वार्षिक साधारण सभा में पूर्णतया आवंटन किया जायेगा एवं लेखा परीक्षक रिपोर्ट/ वार्षिक वित्तीय विवरण साधारण निकाय के विचाराधीन रखा जायेगा।

उत्तराखंड महिला महासंघ ऊखीमठ
अध्यक्षा

उत्तराखंड महिला महासंघ ऊखीमठ
श्रीमती - सुमा देवी सचिव

१०. यदि किसी वित्तीय वर्ष में सहकारिता को अपने कारोबार से कोई घाटा है तो उसे पूर्व सुरक्षित निधियों या सदस्यों में घाटा प्रभार के रूप में घाटे का एक भाग या सम्पूर्ण भाग का विभाजन कर पूर्णतया समाधान किया जायेगा परन्तु यदि घाटा :-

१.बजट से विभाजन का परिमाण है या

२.साधारण निकाय द्वारा विचलन को अनुमोदित नहीं किया गया या

३.कुप्रबन्धन का परिणाम है या घोर उपेक्षा का परिणाम है तो सहकारिता बोर्ड निदेशकों के विरूद्ध कार्यवाही कर घाटे की रकम वसूल सकती है।

४. परन्तु जहां ऐसी रकमें वसूल की जाती हैं वहां साधारण निकाय रकम का एक या सम्पूर्ण भाग घाटा सुरक्षित निधि में या प्रत्येक सदस्य पर लगाये गये अधिभार के अनुपात में खातों में जमा करवा सकती है।

५. सहकारिता के सदस्यों को सदस्यता वापसी लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकेगी जब कि कि उसके अंश का घाटे में समाशोधन नहीं किया जाता है।

६. सहकारिता अपने लक्ष्य प्राप्ति एवं सदस्यों के हित में निधियों को आरक्षित कर सकेगी।

७. सहकारिता द्वारा सृजित कोष/ निधियों का उपयोग सहकारिता के कारोबार बढ़ाने में किया जायेगा।

१६ (ब)लेखा प्रणाली

सहकारिता अपने पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित खाते एवं अभिलेख सुरक्षित रखेगी।

१.संगम अनुच्छे में संशोधन की प्रतिलिपि।

२.कार्यवृत्त पुस्तिका

३.सहकारिता द्वारा प्राप्त आय एवं व्यय की राशि का मदवार विवरण।

४.पूंजी संयोजन से सम्बन्धित प्रयोजनों का विवरण

५.समस्त क्रय एवं विक्रयों का लेखा

६.समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण

७.सहकारिता की आस्तियों एवं दायित्वों का लेखा

८.सदस्यों की सूची गत वित्तीय वर्ष के उनके दायित्वों की पूर्ति, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले विवरण इत्यादि का लेखा

९.ऋण वितरण का विवरण

१०.सदस्य समूहों का ऋण एवं बचत सम्बन्धित विवरण

११.मताधिकार प्राप्त सदस्यों की सूची

१२.सहकारिता लगभग आठ वर्षों तक अपने समस्त अभिलेखों को सुरक्षित रखेगी।

१३.सहकारिता के समस्त अभिलेख बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी निदेशकों या अंकेक्षकों को निरीक्षण के लिए कार्यालय समय पर उपलब्ध रखे जायेंगे।

१४. सहकारिता उत्तराँचल स्वायत सहकारी अधिनियम २००३ के अनुसार तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर किये जाने वाले प्रावधानों के अनुरूप अभिलेख सुरक्षित रखेगी।

१६. (स) अंकेक्षण

१. सहकारिता उत्तराँचल स्वायत सहकारी अधिनियम २००३ की धारा ४४ (१) के अनुसार अपने खातों का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में करवायेगी।

२. सहकारिता द्वारा वार्षिक साधारण सभा में लेखा परीक्षक/अंकेक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

३. सहकारिता के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक साधारण निकाय द्वारा निर्धारित होगा यदि साधारण निकाय लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं कर सकेगा तो माध्यस्थम अधिकरण पारिश्रमिक निर्धारित करेगा।

४. लेखा परीक्षक को हटाने एवं नियुक्त करने का अधिकार साधारण निकाय को होगा। लेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र सहकारिता के अध्यक्ष को प्रेषित करेगा एवं सहकारिता अध्यक्ष उसे स्वीकार करने या न करने का निर्णय साधारण निकाय में विचार-विमर्श करने के बाद लेगा।

५. पद से हटाये जाने, त्यागपत्र देने या पद से हटाये जाने सम्बन्धित नोटिस के प्राप्त होने पर लेखा परीक्षक के सहकारिता के प्रति सभी अधिकार स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

६. लेखा परीक्षक के पद से त्यागपत्र देने पर हुई रिक्ति की पूर्ति यदि अविलम्ब करनी होगी तो वह माध्यस्थम अधिकरण द्वारा की जायेगी।

७. लेखा परीक्षक को यदि अपने पद से हटाया जायेगा तो उसकी नियुक्ति साधारण निकाय द्वारा की जायेगी।

८. साधारण निकाय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अपने पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक के समस्त कार्यो। तथा कार्य अवशेष को पूर्ण करने का दायित्व लेगा।

९. लेखा परीक्षक द्वारा उचित रूप से मांगे जाने पर बोर्ड समस्त अभिलेखों को उपलब्ध करायेगा।

उखीमठ महिला महासंघ ऊखीमठ

अध्यक्षा

उखीमठ महिला महासंघ ऊखीमठ

श्रीमती धूमा देवी सचिव

१०. बोर्ड का दायित्व होगा कि वह लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करवाने एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में ४५ दिन के अन्दर उन्हें लेखा परीक्षक को अंतिम एवं प्रमाणित विवरण तैयार करने के लिए प्रस्तुत करें।

नोट : सहकारिता का लेखा परीक्षण पूर्ण रूप से उत्तरांचल स्वायत सहकारी अधिनियम २००३ में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत होगा। सहकारिता रजिस्ट्रार को उत्तरांचल स्वायत्त सहकारी अधिनियम २००३ की धारा ४५ के अन्तर्गत वर्णित विवरणों को उपलब्ध करायेगी।

२०. विवाद

सहकारिता के संगम अनुच्छेद के अनुसार प्रबन्ध एवं व्यवसाय से सम्बन्धित कोई भी ऐसा विवाद जो

१. सहकारिता के सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों तथा किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की ओर से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के मध्य,
२. सहकारिता के वर्तमान एवं भूतपूर्व बोर्ड, निदेशक, अध्यक्ष या अन्य किसी भी पदाधिकारी के द्वारा किये गये दावे कारण,
३. सहकारिता के बोर्ड तथा इसके किसी निवर्तमान बोर्ड, किसी निदेशक पदाधिकारी या किसी भूतपूर्व निदेशक, भूतपूर्व पदाधिकारी या सहकारिता के के किसी मृत निदेशक या मृत पदाधिकारी के नाम निर्देशित वारिश या विधिक प्रतिनीधि के बीच
४. या सहकारिता के लेन-देन/कारोबार/प्रबन्धन/संचालन से सम्बन्धित या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवादों को माध्यस्थम अधिकरण द्वारा निपटाया जायेगा।

२१. माध्यस्थम अधिकरण

१. यदि कोई प्रश्न इस सम्बन्ध में उठाया जाता है कि सहकारिता द्वारा भेजा गया कोई विवाद सहकारिता के संविधान, प्रबन्धन अथवा कारोबार से सम्बन्धित है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का समाधान भी माध्यस्थम अधिकरण द्वारा किया जायेगा।
२. माध्यस्थम अधिकरण द्वारा किये गये ऐसे विवाद का समाधान अन्तिम एवं मान्य होगा। विवाद को निपटाने तक माध्यस्थम अधिकरण ऐसे अर्न्तवर्ती आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा जैसे कि वह सहकारिता के हित एवं न्यायहित में आवश्यक समझे।
३. सहकारिता के माध्यस्थम अधिकरण द्वारा जारी किये गये आदेश, विवाद का निपटारा या जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चय का निष्पादन इस प्रकार किया जायेगा कि ऐसा आदेश उस न्यायालय की डिक्री हो।
४. वसूली सम्बन्धित या बकाया धनराशि सम्बन्धित सहकारिता का कोई भी विवाद माध्यस्थम अधिकरण अधिकरण द्वारा नोटिस एवं वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
५. माध्यस्थम अधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र कथित देय बकाया राशि के बारे में अन्तिम तथा निश्चायक सबूत होगा एवं मुख्य कार्यपालक इस प्रमाण पत्र के आधार पर उपयुक्त कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा।

२१ (१) माध्यस्थम अधिकरण की कार्य अवधि

१. सहकारिता का माध्यस्थम अधिकरण की कार्यविधि तीन वर्ष की होगी।
२. माध्यस्थम अधिकरण में सदस्यों की संख्या का निर्धारत संयुक्त रूप से सहकारिता के अध्यक्ष, बोर्ड निदेशकों एवं साधारण निकाय द्वारा किया जायेगा।
३. माध्यस्थम अधिकरण गठित करते समय सहकारिता यह ध्यान रखेगी कि इसका कोई सदस्य विधिक मामलों से सम्बन्धित कोई योग्यता या कार्य अनुभव रखता हो।
४. कोई व्यक्ति जो सहकारिता के माध्यस्थम अधिकरण के सदस्य के रूप में सेवारत रहा हो वह अगले तीन वर्ष के लिए सहकारिता के बोर्ड का चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

२२. विघटन

सहकारिता का विघटन यदि आवश्यकता पड़ने पर किया जताा है या किन्हीं अन्य कारणों से या रजिस्ट्रार द्वारा या न्यायालय द्वारा होता है तो वह पूर्ण रूप से उत्तरांचल स्वायत सहकारी अधिनियम वर्ष २००३ के अध्याय ६ की धारा (५०) के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों/ उपधाराओं के अन्तर्गत एवं अनुरूप किया जायेगा।

२३. अन्य

१. सहकारिता अपने कारोबार प्रबन्धन एवं व्यवहार में सहकारिता के सिद्धान्तों का अक्षरशः पालन करेगी।
२. उत्तरांचल स्वायत सहकारी अधिनियम वर्ष २००३ के अन्तर्गत अपने कारोबार एवं व्यवसाय/ प्रबन्धन का संचालन करेगी।
३. सहकारिता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कार्य करना है।
४. सहकारिता अपने सदस्यों के आर्थिक स्तर पर सशक्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कार्यों को संचालित करेगी।

ऊखीमठ महिला महासंघ ऊखीमठ
अध्यक्ष

ऊखीमठ महिला महासंघ ऊखीमठ
श्रीमती- कुसुमा देवी सचिव

५. उपरोक्त के अतिरिक्त सहकारिता की एक सलाहकार सहकारिता होगी जिसमें कि प्रर्वतक गैर सरकारी संस्था का प्रधिकारी स्थानीय प्रशासन का अधिकारी, बैंक, सार्वजनिक या निजी संस्थान के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। सलाहकार सहकारिता उषामठ महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लिमिटेड, ऊखीमठ का मार्ग निदेशन करेगा, भावी योजनाओं को बनायेगा एवं प्रबन्धकों/संचालकों को राय-मशविरा प्रदान करेगा। सलाहकार सहकारिता का गठन सहकारिता के पंजीकरण के तिथि के ६ माह के अन्तर्गत किया जायेगा।

उषामठ महिला महासंघ ऊखीमठ

अध्यक्षा

उषामठ महिला महासंघ ऊखीमठ

श्रीमती सचिव

:–आदेश–:

यतः उषामठ महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लि0 मंदिर मार्ग गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग द्वारा अपनी वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक 18.06.2010 के प्रस्ताव संख्या–3 में सहकारिता के संगम अनुच्छेद नियम संख्या 2 (कार्यक्षेत्र) में संशोधन का निर्णय लेकर उक्त संशोधन की स्वीकृति करने का अनुरोध किया गया है। और

यतः उक्त संशोधन की संस्तुति प्रभारी, जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड रूद्रप्रयाग ने अपने कार्यालय पत्र संख्या–466 / विधि0 / स्वा0 सह0 / संशोधन / 2010–11 दिनांक सितम्बर 9, 2010 द्वारा दी गयी है।

अतः मै ए0 के0 काला, उप निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड उक्त सहकारिता की वार्षिक साधारण सभा के उक्त अनुरोध व जिला सहायक निबंधक, रूद्रप्रयाग की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 07 (4) के अंतर्गत निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सहकारिता के संगम अनुच्छेद के नियम संख्या 2 (कार्यक्षेत्र) में प्रस्तर संख्या 1 के स्थान पर प्रस्तर संख्या 2 में अंकित संशोधन से निबंधित करता हूँ।

प्रस्तर–1	प्रस्तर–2
इस सहकारिता का कार्यक्षेत्र रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी एवं उत्तरकाशी जनपद होगा।	इस सहकारिता का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण गढ़वाल मण्डल होगा।

ह0/–

(ए0 के0 काला)

उप निबंधक,

सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

कार्यालय निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।

पत्रांक 4821-23 /अधि0–सं0का0 / निबं0 / संशो0 / 2010–11 / दिनांक नवम्बर 2 2010

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उषामठ महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लि0 मंदिर मार्ग गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग।
2. सचिव / महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैक लि0 चमोली (गोपेश्वर)।
3. जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड रूद्रप्रयाग।

उप निबंधक,

सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

:– आदेश :–

यतः उषामठ महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लि0 मन्दिर मार्ग गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग द्वारा अपनी वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक 29–12–2008 के प्रस्ताव संख्या 04 में सहकारिता के संगम अनुच्छेद के नियम संख्या 2 (कार्यक्षेत्र) में संशोधन का निर्णय लेकर उक्त संशोधन की स्वीकृति करने का अनुरोध किया गया है। और

यतः उक्त संशोधन की संस्तुति प्रभारी, जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखंड रूद्रप्रयाग ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 810 / विधि / स्वा0 सह0 / संशो0 / 2008–09 दिनांक 20–01–2009 द्वारा दी गई है।

अतः मैं ए0 के0 काला, उप निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखंड उक्त सहकारिता की वार्षिक साधारण सभा के उक्त अनुरोध व जिला सहायक निबंधक, रूद्रप्रयाग की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रस्तुत स्थिति पर सम्यक विचारोपरांत उत्तराखंड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम–2003 की धारा – 07 (4) के अन्तर्गत निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सहकारिता के संगम अनुच्छेद के नियम संख्या–2 (कार्यक्षेत्र) में प्रस्तर संख्या 01 के स्थान पर प्रस्तर संख्या 02 में अंकित संशोधन से निबंधित करता हूँ।

प्रस्तर – 1	प्रस्तर – 2
नियम संख्या– 2 (कार्यक्षेत्र) इस सहकारिता का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण रूद्रप्रयाग एवं चमोली जनपद होगा	इस सहकारिता का कार्यक्षेत्र रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी एवं उत्तरकाशी जनपद होगा।

(ए0 के0 काला)
उप निबंधक,
सहकारी समितियां उत्तराखंड।

कार्यालय निबंधक सहकारी समितियां **उत्तराखंड।**
पत्रांक 14-16 / अधि0 –सं0का0 / निबं0 / संशो0 / 2009–10 दिनांक 1, अप्रैल 2009
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– सचिव, उषामठ महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लि0 मन्दिर मार्ग गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग।
2– सचिव / महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक लि0 चमोली (गोपेश्वर)।
3– जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखंड रूद्रप्रयाग।

उप निबंधक,
सहकारी समितियां उत्तराखंड।

:–आदेश–:

यतः ऊषामठ महिला स्वायत्त सहकारिता महासघ लि0 द्वारा अपनी विशेष बैठक दिनांक 01–02–2007 के प्रस्ताव संख्या–3 द्वारा सहकारिता के संगम अनुच्छेद के नियम संख्या 19(अ) में एंव वित्तीय प्रबन्धन में सशोधन की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

अतः मैं ए0के0 काला, उप रजिस्ट्रार/उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड उक्त सहकारिता के सदस्यों के उक्त अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए एंव प्रस्तुत स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त सहकारिता के संगम अनुच्छेद के नियम संख्या 19(अ) में निम्नांकित संशोधन को निबन्धित करता हूँ:–

नियम 19(अ) वित्त एंव वित्तीय प्रबन्धन

1–सहकारिता का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

2–सहकारिता अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी, निक्षेपट्ट अनुदान एंव उधार सहित निधियां जुटा सकेगी।

3–सहकारिता राष्ट्रीय एंव अन्तराष्ट्रीय श्रोतों, सरकारी–गैर सरकारी, निजी क्षेत्रों तथा संस्थाओं से पूंजी का प्रबन्ध कर सकेगी।

4–सहकारिता द्वारा जुटाई गई निधियां उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय की जायेगी।

5–सहकारिता अपने निधियों को आवश्यकतानुसार अपने सदस्यों को दीर्धकालीन ऋण, जो कि सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के होगें या अल्पकालीन ऋण जो कि एक वर्ष की अवधि के होगें, या इससे कम की अवधि के होगें, के रूप में दे सकेगी।

6–यदि सहकारिता के पास अतिरेक होगा तो वह इसका विनियोग किसी भी क्षेत्र में करने के लिए स्वतत्र होगी।

7–ऋण प्रदान करने सम्बन्धित विनियमों को सहकारिता का कार्यपालक/सचिव अध्यक्ष एंव निदेशक बोर्ड के सलाह मशविरा से तैयार करेगा।

8–यदि सहकारिता को किसी भी वित्तीय वर्ष में करोबार करने से लाभ होता है तो वह अधिशेष को

1. घाटा पूर्ति के लिए सुरक्षित कर सकती है।
2. सदस्यों में अधिशेष वापसी के रूप में वितरित कर सकती है।
3. कारोबार को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है।
4. आरक्षित की गई राशियां/निधियों के लिए
5. सदस्यों को सामान्य सेवा प्रदान करने के लिए।
6. कर्मचारियों को पुरस्कार अथवा प्रोत्साहन देने के लिए उपयोग कर सकती है

9–सहकारिता के अधिशेष को वार्षिक साधारण सभा में पूर्णतया आवंटन किया जायेगा एंव लेखा परीक्षक रिपोर्ट/वार्षिक वित्तीय विवरण साधारण निकाय के विचाराधीन रखा जायेगा।

10 कि सहकारिता अपने सदस्यों को विशेष सहायता उपलब्ध कराने हेतु बैंकों, वित्तीय एंव अन्य संस्थानों से ऋण ले सकती है।

11–तथा सहकारी बैंकों, वित्तीय एंव अन्य सस्थानों से ऋण या उधार धनराशि लेने के लि0 सिक्योरिटी, प्रतिभूति या कोलेटरल या गारन्टी प्रदान/प्रस्तुत कर सकेगी।

(ए0के0 काला)
उप रजिस्ट्रार/उप निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
पत्रांक 5896-98 निब0–कैम्प/संशोधन/2006–07 दिनांक फरवरी 14, 2007

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–सचिव, ऊषामठ महिला स्वायत्त सहकारिता महासघ लि0 ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग।
2–सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 चमोली।
3–जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, रूद्रप्रयाग।

उप रजिस्ट्रार/उप निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

--आदेश--

यत उपामत महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लि0 द्वारा अपनी विशेष बैठक दिनांक 01-02-2007 के प्रस्ताव संख्या-3 द्वारा सहकारिता के संगम अनुच्छेद के नियम संख्या 19(अ) में एवं वित्तीय प्रबन्धन में संशोधन की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

अतः मैं ए0के0 काला, उप रजिस्ट्रार/उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड उक्त सहकारिता के सदस्यों के उक्त अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए एंव प्रस्तुत स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त सहकारिता के संगम अनुच्छेद के नियम संख्या 19(अ) में निम्नांकित संशोधन को निबन्धित करता हूँ:--

नियम 19(अ) वित्त एंव वित्तीय प्रबन्धन

1--सहकारिता का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

2--सहकारिता अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क, अंश पूजी, निक्षेप, अनुदान एव उधार सहित निधियां जुटा सकेगी।

3--सहकारिता राष्ट्रीय एंव अन्तराष्ट्रीय श्रोतों, सरकारी--गैर सरकारी, निजी क्षेत्रों तथा संस्थाओं से पूंजी का प्रबन्ध कर सकेगी।

4--सहकारिता द्वारा जुटाई गई निधियां उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय की जायेगी।

5--सहकारिता अपने निधियों को आवश्यकतानुसार अपने सदस्यों को दीर्घकालीन ऋण, जो कि सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के होगें या अल्पकालीन ऋण जो कि एक वर्ष की अवधि के होगें, या इससे कम की अवधि के होगें, के रूप में दे सकेगी।

6--यदि सहकारिता के पास अतिरेक होगा तो वह इसका विनियोग किसी भी क्षेत्र में करने के लिए स्वतत्र होगी।

7--ऋण प्रदान करने सम्बन्धित विनियमों को सहकारिता का कार्यपालक/सचिव अध्यक्ष एंव निदेशक बोर्ड के सलाह मशविरा से तैयार करेगा।

8--यदि सहकारिता को किसी भी वित्तीय वर्ष में करोबार करने से लाभ होता है तो वह अधिशेष को

1. घाटा पूर्ति के लिए सुरक्षित कर सकती है।
2. सदस्यों में अधिशेष वापसी के रूप में वितरित कर सकती है।
3. कारोबार को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है।
4. आरक्षित की गई राशियां/निधियों के लिए
5. सदस्यों को सामान्य सेवा प्रदान करने के लिए।
6. कर्मचारियों को पुरस्कार अथवा प्रोत्साहन देने के लिए उपयोग कर सकती है

9--सहकारिता के अधिशेष को वार्षिक साधारण सभा में पूर्णतयः आवटन किया जायेगा एव लेखा परीक्षक रिपोर्ट/वार्षिक वित्तीय विवरण साधारण निकाय के विचाराधीन रखा जायेगा।

10 कि सहकारिता अपने सदस्यों को विशेष सहायता उपलब्ध कराने हेतु बैंकों, वित्तीय एवं अन्य संस्थानों से ऋण ले सकती है।

11--तथा सहकारी बैंकों, वित्तीय एंव अन्य संस्थानों से ऋण या उधार धनराशि लेने के लिए सिक्योरिटी, प्रतिभूति या [illegible] या गारन्टी प्रदान/प्रस्तुत कर सकेगी।

(ए0के0 काला)
उप रजिस्ट्रार/उप निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड

कार्यालय उप निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
पत्रांक 5898 नि0-कैम्प, संशोधन/ 2006-07 दिनांक फरवरी 14, 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, उपामत महिला स्वायत्त सहकारिता महासंघ लि0 [illegible], रुद्रप्रयाग।
2- सचिव, महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0 [illegible]।
3- जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां [illegible] रुद्रप्रयाग

[illegible]
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड